न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	कार्य आदेश
06.06.18	[illegible] [illegible] [illegible] हकीकत [illegible] [illegible] [illegible] में पढ़ा हुई। [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] पक्ष में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] खस. 1379, 1380, 1388/2 1401/2, 1406, 1426/1, 4048/2, 4048/4345 4049/2, 4050/1 कुल किता 10 कुल रकबा 6.62 हैक्टेयर वाका ग्राम सोप [illegible] प्रार्थिया नं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड थी [illegible] प्रार्थिया नं. 1 के पति व साथल नं. 2 व 3 के पिता थे। उक्त भूमि साथल नं. 2 व 3 की पैतृक भूमि है जिस पर साथलान का भी कानूनी अधिकार है। गैरसाथल नं. 1 अपनी गलत आदतों में लिप्त होकर उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहता है और विक्रय करना चाहता है। ऐसी स्थिति में [illegible] साथल नं. 2 व 3 एवं साथल नं. 1 [illegible] पति से प्रताड़ित होकर [illegible] होकर न्यायालय की शरण में आयी है जिसे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। अत: गैरसाथलान [illegible] [illegible] [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द [illegible] जावे कि नालिशसुदा [illegible] [illegible] खस. 1379, 1380, 1388/2 1401/2, 1406, 1426/1, 4048/2, 4048/4345 4049/2, 4050/1 कुल किता 10 कुल रकबा 6.62 हैक्टेयर वाका ग्राम सोप में शामलात

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

फर्द अहकाम

के हिस्से 3/4 भूमि में किसी प्रकार
को मालहमत, मदाखलत, कब्जाकाश्त व
अन्तरण, उपयोग में रिया नहीं कर
सकेगा तथा नाही करे। इस पर अप्रार्थी
सं. 1 ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत
पेश नाही किया और न ही कोई
जवाब पेश किया जाता। अवलोकन
किया जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष
पर पहुँचता है कि न्याय हित
में प्रार्थी आवेदक सं. 2 व 3 नाबालिग
के हिस्से 3/4 भूमि का उनके हित
के विरुद्ध बेचान कर
अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बेचान कर
दिया जाता तो उन्हें भारी क्षति पहुँच
सकती है जिसकी पूर्ति किसी भी
प्रकार से किया जाना सम्भव नाही हो
सकेगा एवं प्रथम दृष्टया मामला आवेदक
का है। प्रथम दृष्टया पत्रावली में उपलब्ध
के साक्ष्य में से पत्रावली का अवलोकन करने पर
दस्तावेजों का अवलोकन करने पर
प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन,
प्राथमिकी केस, सुविधा का संतुलन,
एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु
आवेदक के पक्ष में होना प्रतीत होता
है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की
जाती है। अप्रार्थी को पाबन्द
कर अस्थाई निषेधाज्ञा से आदेशित
किया जाता है कि वे किसी प्रकार
के विक्रय, अन्तरण में किसी प्रकार
की बाधा पैदा नाही करे एवं उक्त
भूमि का विक्रय नाही करे।
प्रार्थी [illegible] मय पत्रावली [illegible] कुमार आगामी
पत्रावली [illegible] तहसील नादौती को
भेजी जावे। बाद [illegible] आमिल दाखिल दफ्तर
होकर [illegible]